

फर्त आहवाण

(नियम 20)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

पंचपुत्रा बनाव पारसमल (गौवा)

फिरम मुकदमा प्रा-पत्र 111-128 नं० 115 त्त 2021

संज्ञक	हुकम या कारवाही मय इनिशयल्ल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इत हुकम की तारीख से जारी हुए
--------	--------------------------------	---

8-21

वाद / प्रार्थनापत्र वाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर दिनांक वाकम विपक्षीगण को प्रस्तुत नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 14.9.21 को पेश हो।

(Signature)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक क्लर्क माण्डल

14/9
उभय पक्ष उपरिष्ठत प्रार्थनापत्र प्रतिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। अतः पत्रावली 30.9.21 को पेश हो।
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

25/10/21

पत्रावली प्रशासन गाँवों के संग अभियान केम्प भगवानपुरा में पेश हुई, विपक्षीगण के सम्मन वाद तामिल हो कर प्राप्त हुए एवं नायब तहसीलदार मांडल से माँगा रिपोर्ट पेश हुई जिसे शां.पं. किया गया। प्रार्थनापत्र प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृष्ठ से सिद्धांत शां.पं. किया गया पत्रावली फंसल शुमार नम्बर से कम हो

(Signature)
डॉ. पूषा सक्सेना
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. पूजा सक्सेना, आर. ए. एस.

मुकदमा संख्या :- 115/21 प्र.पत्र

1- श्री पंकज कुमार 510 श्री भद्रलाल डीन गिवासी - वासन नं. 17 वा.सं. 14
लापाररोड के आर नगर रोड नं. 27 लानी में (कॉन्क्रेट हाल निवसी) - प्रार्थी
परी रिसॉर्ट के लैंगली चौरहा पर बनाये गये कच्चे

1- श्री पारस 510 श्री शोभालाल भील गिवासी - चिलेश्वर (विपक्षीय)
(हिस्तेफिर 9) - पक्षीय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

::आदेश::

दिनांक 25-10-21

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.राज. अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर
निवेदन किया कि ग्राम...भद्रलालपुरा...पटवार हल्का...भद्रलालपुरा...तहसील मांडल/में उसके
खाते /संयुक्त खातों की आराजी नं. 38/10...कुल किता 01
रकबा...0.5059...हेक्टेयर...स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीयण के मध्य आराजी
भुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते
संयुक्त खाते की भूमि की पत्थर गद्दी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक...17.8.21...को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण का
वलाकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगद्दी करने का
धिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा -फेरी होने का अंदेश
नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक
द्वान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम...भद्रलालपुरा
पटवार हल्का...भद्रलालपुरा...तहसील मांडल में स्थित आराजी नं. 38/10...
कुल किता 01...रकबा...0.5059...हेक्टेयर...
के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगद्दी किये जाने का आदेश दिया जाता है।
पत्थरगद्दी किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक...भद्रलालपुरा...को 450/-
फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें।
कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील
दु को आधार मानकर पत्थरगद्दी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थर गद्दी नहीं की जावे।

डॉ. पूजा सक्सेना
उपखण्ड अधिकारी
मांडल, जिला - भीलवाड़ा
न 2021

तलिपि :- तहसीलदार मांडल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगद्दी को
कर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी